

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/35

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 01-01-2025

अप्रार्थीगण

कानसिंह पुत्र गोरधनसिंह वगैराह  
जाति रावणा राजपूत निवासी  
जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 अन्तरीदेवी पत्नी जुगतसिंह वगैराह जाति  
रावणा राजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी  
(भाड़खा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 269/2023

दिनांक-

24/12/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 155/140 रकबा 2.1610 हैक्टेयर, खसरा संख्या 252/140  
रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 154/140 रकबा 1.9506 व खसरा संख्या 202/140 रकबा  
0.2104 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार  
बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरों एक हजार  
पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड बाड़मेर

दिनांक- याड़मेर

01-01-2025

क्रमांक :- रीडर/2024/36-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कानसिंह पुत्र गोरधनसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अन्तरीदेवी पत्नी जुगतसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर